

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमांक:एफ.1677सीसी/स्वाकापु/2019/

दिनांक :

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
चित्तौड़गढ़।

विषय: एस.बी.सिविल अवमानना याचिका संख्या 1657/2018 अन्तर्गत  
एस.बी.सिविल याचिका संख्या 3774/2018 श्री हजारी लाल  
बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में लेख है कि एस.बी.सिविल याचिका संख्या  
3774/2018 श्री हजारी लाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में पारित  
आदेश/निर्णय दिनांक 7.5.2018 की पालना में निदेशालय के आदेश क्रमांक  
2351 दिनांक 1.9.2018 जारी कर याचिकर्ता को 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण  
करने पर संशोधित चयनित वेतनमान श्रृंखला स्वीकृत की जा चुकी है, जिसकी  
छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि अवमानना संख्या 1657/2018 को खारिज  
कराने का श्रम करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

६०  
( राकेश शर्मा )  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

लगातार पेज 2.....

( 2 )

क्रमांक:एफ.1677सीसी/स्वाकापु/2019/192

दिनांक : 12/2/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान जयपुर को उनके अ.शा. टीप/डीएस/एल/सी.एस/डब्ल्यू.सी.पी.1657/2018/एच.सी./जे.डी./मेडिकल एण्ड हेल्थ/2019/12890 दिनांक 8.2.2019 के क्रम में उक्त प्रकरण में पारित निर्णय की पालना आदेश की प्रति के। (संलग्न प्रति)
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर को उनकी डायरी क्रमांक 1359 दिनांक 8.2.2019 के क्रम में।
3. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
4. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर।
5. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को वास्ते संबंधित अधिकारी को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. श्री हजारी लाल जोशी, सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष निवासी मुकाम राजदेवजी का चन्देरिया, नई आबादी कच्ची बस्ती, वार्ड नं. 6, पोस्ट चन्देरिया, बी.सी.डब्ल्यू.तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ को माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना आदेश की प्रति सहित। (संलग्न प्रति)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर